न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 83/2024
रजिस्ट्रेशन नं. :2024/99

अभियुक्त :–

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)	बनाम	श्री निखिल उपाध्याय पुत्र श्री नन्द किशोर निवासी ठिकरीया बांसवाडा (विक्रेता) मैसर्स वमन ट्रेडर्स, दाहोद रोड, ठिकरीया, बांसवाडा (राज.)

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 02–09–2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **श्री उम्मेद मल टेलर** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक **25–07–2024** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **14–09–2023** को 3.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु मैसर्स **वमन ट्रेडर्स, दाहोद रोड, ठिकरीया, बांसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री निखिल** उपाध्याय **पुत्र श्री नन्द किशोर** उपस्थित थे। **विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स वमन** ट्रेडर्स, दाहोद **रोड, ठिकरीया, बांसवाडा** का निरीक्षण करने पर दुकान में एक रेक में खाध पदार्थ नमकीन (प्रियल **गोल्ड) के 10 पैकेट प्रत्येक 1–1 किलोग्राम का विक्रय हेतु रखे थे। उक्त** खाध पदार्थ **नमकीन (प्रियल गोल्ड)** जिसको एफ.एस.एस.ए के तहत देखने पर मानक स्तर का नही होने एवं मिसब्राण्ड का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **नमकीन (प्रियल गोल्ड) के 4 पैकेट प्रत्येक में 1 किलोग्राम कुल 4** किलोग्राम वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 300/– रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं [illegible] कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जॉच हेतु [illegible] पैकेट **प्रत्येक में 1 किलोग्राम कुल 4 किलोग्राम** वास्ते के चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1564** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.10.07 12:09:49 IST
Reason: Self Attested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर किया गया। नमूना भागो को अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/517 दिनांक 17–10–2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1211 दिनांक 05–10–2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **नमकीन (प्रियल गोल्ड)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1564** Misbranded food under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 & Contains extraneous matter under section 3(1)(i) of food safety and Standards Act 2006 पाया गया। उक्त नमुने की जांच रिपोर्ट के विरुद्ध विक्रेता द्वारा एफएसएसए की धारा 46 की उपधारा (4) के तहत पुनः जांच हेतु निर्धारित समयावधि में अपील की गई जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाडा द्वारा खाद्य कारोबार कर्ता की अपील पर नमूने की पुनः जांच हेतु रैफरल फुड लेब मैसुर भिजवाया गया। आरएफएल मैसुर की जांच रिपोर्ट 06एफ/ एफएसएसए/ 2024 दिनांक 27–03–2024 के तहत नमुना 3(1)(zf) के तहत मिसब्राण्डेड होना पाया गया। विक्रेता द्वारा मिस ब्राण्डेड नमकीन **(प्रियल गोल्ड)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 30–07–2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.10.07 12:09:49 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 02—09—2024 को अप्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बांसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए / 2023 / 517 दिनांक 17—10—2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1211 दिनांक 05—10—2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **नमकीन (प्रियल गोल्ड)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1564** Misbranded food under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 & Contains extraneous matter under section 3(1)(i) of food safety and Standards Act 2006 पाया गया है। उक्त नमुने की जांच रिपोर्ट के विरुद्ध विक्रेता द्वारा एफएसएसए की धारा 46 की उपधारा (4) के तहत पुनः जांच हेतु निर्धारित समयावधि में अपील करने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाडा द्वारा खाद्य कारोबार कर्ता की अपील पर नमूने की पुनः जांच हेतु रैफरल फुड लेब मैसुर भिजवाया गया। आरएफएल मैसुर की जांच रिपोर्ट 06एफ / एफएसएसए / 2024 दिनांक 27—03—2024 के तहत नमुना 3(1)(zf) के तहत मिसब्राण्डेड होना पाया गया है। इस प्रकार विक्रेता द्वारा मिस ब्राण्डेड नमकीन **(प्रियल गोल्ड)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf) के तहत मिसब्राण्डेड पाया गया **नमकीन (प्रियल गोल्ड)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम—2006 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **श्री निखिल उपाध्याय पुत्र श्री नन्द किशो[illegible] वासी [illegible]करीया बांसवाडा (विक्रेता) मैसर्स वमन ट्रेडर्स, दाहोद रोड, ठिकरीया, बांसवाडा (राज.) को रुपये [illegible]0/— (अक्षरे पांच हजार रुपया मात्र) से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 201[illegible] के 3.1.2 के बिन्दु संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04—लोक स्वास्थ्य, 800—अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.10.07 12:09:49 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 02–09–2024 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अभिषेक गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.10.07 12:09:49 IST
Reason: SelfAttested